फर्द अहकाम

राजस्व पत्रावली

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला राजसमंद

पत्रावली संख्या 82 सन् 2024 किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

शिवानी एनक्लेव बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ

ंक	आदेशिका	ह. / सू.
26		

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई ।अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि तहसीलदार कुम्भलगढ से रास्ते की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है – 1. प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि के आराजी नंबर 1789 / 1रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 भूमि ग्राम काकरवा पटवार हल्का काकरवा तहसील कुम्भलगढ में स्थित है। 2. प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु निकटतम रास्ता राजस्व ग्राम काकरवा की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 5726 / 3013 रकबा 0. 5562 हैक्टेयर किस्म हकत–3 मे से रकबा 0.1200 हैक्टेयर एवं बिलानाम आराजी नंबर 6209 / 3013 रकबा 2.4091 हैक्टेयर किस्म–मगरी मे से रकबा 0.0800 हैक्टेयर, व बिलानाम आराजी नंबर 1789 रकबा 5.9724 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.2100 हैक्टेयर एवं बिलानाम आराजी नंबर 1789 / 5 रकबा 0.2160 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.0400 हैक्टेयर अर्थात् 4500 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है। 4. प्रस्तावित रास्ता भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित नहीं है। 5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि से संबंधित न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन नही है । 6.प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 30 फीट है। 7.प्रस्तावित रास्ता निकटतम होकर इसके अलावा ओर कोई अन्य वेकल्पिक रास्ता नही है ।

पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस , तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक–पक्षीय बहस पर मनन किया गया। उक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम काकरवा की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 5726 / 3013 रकबा 0. 5562 हैक्टेयर किस्म हकत–3 मे से रकबा 0.1200 हैक्टेयर एवं बिलानाम आराजी नंबर 6209 / 3013 रकबा 2.4091 हैक्टेयर किस्म–मगरी मे से रकबा 0.0800 हैक्टेयर, व बिलानाम आराजी नंबर 1789 रकबा 5.9724 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.2100 हैक्टेयर एवं बिलानाम आराजी नंबर 1789 / 5 रकबा 0.2160 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.0400 हैक्टेयर अर्थात 4500 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे से खातेदारी भूमि का कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर व बिलानाम भूमि का कुल रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि जो नक्शा ट्रेस में अंकित प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार **राजस्व ग्राम काकरवा की खातेदारी आराजी नंबर** 5726 / 3013 रकबा 0.5562 हैक्टेयर किस्म हकत–3 मे से रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि डीएलसी दर 13,55,000 / – रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि 3,25,200 / – रूपये बनती है जो संबंधित खातेदार को उनके राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार दिलाई जाने का आदेश दिया जाता है । एवं खातेदार द्वारा उक्त राशि नही ली जाने की स्थिति मे उक्त राशि (संबंधित मद) राजकोष में जमा रखने का आदेश दिया जाता है। एवं ग्राम काकरवा **की बिलानाम भूमि के** आराजी नंबर 6209 / 3013 रकबा 2.4091 हैक्टेयर किस्म–मगरी मे से रकबा 0.0800 हैक्टेयर, व बिलानाम आराजी नंबर 1789 रकबा 5.9724 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.2100 हैक्टेयर एवं बिलानाम आराजी नंबर 1789 / 5 रकबा 0.2160 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल रकबा 0.3300 **हैक्टेयर की डीएलसी दर 5,17,500 / – रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि 3,41,550 / –** रूपये बनती है। जो राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता। यह रास्ता केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर 30 फीट चौडा रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग–उपभोग हेतु खुला रहेगा। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार रास्ता कायम कर पालना पेश करे। पालना हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)